...जस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

...अंक 6] सप्तम विधान सभा के छठे सत्र का 13वां दिवस [संख्या 9

मंगलवार

दिनांक 1 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1983-84 का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : वार्षिक वित्तीय विवरण (आय व्ययक) 1983-84 का मंत्री जी उपस्थापन करेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 1983-84 के बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

2. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, राज्य के एक बहुत बड़े भाग में अकाल रहने के कारण वर्ष 1982-83 आर्थिक दृष्टि से कठिनाइयों से भरा वर्ष रहा। इस कारण, स्वभावतः राज्य की अर्थ व्यवस्था तथा वित्तीय संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। फिर भी, विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के हमारे प्रयत्नों से आधारभूत ढांचे का जो सुदृढ़ीकरण पिछली योजनाओं के तहत हुआ, उससे औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। आर्थिक समीक्षा में, जो कि माननीय सदस्यों को पृथक् से वितरित की जा रही है, गत एक वर्ष में हुई प्रगति की विस्तृत समीक्षा है। मैं आर्थिक स्थिति के केवल उन पहलुओं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनका सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे बजट पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

3. वर्ष 1982-83 के प्रारम्भ में सम्वत् 2038 के अकाल की तीव्रता अपनी चरम सीमा पर थी, तथापि राजस्थान में थोक मूल्यों में वृद्धि प्रायः नियंत्रित रही। वर्ष 1981 की तुलना में वर्ष 1982 में वृद्धि 2.15 प्रतिशत ही रही जबकि 1981 में वर्ष 1980 की तुलना में यह वृद्धि 15.16 प्रतिशत थी।

4. यह हमारे प्रयत्नों का फल है कि वर्ष 1970-71 के स्थिर मूल्यों पर वर्ष 1981-82 में प्रति व्यक्ति आय 585 रुपये होने का अनुमान है जबकि 1980-81 में 555 रुपये प्रति व्यक्ति थी। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1980-81 की 1277 रुपये की तुलना में वर्ष 1981-82 में 1417 रुपये प्रति व्यक्ति अनुमानित है।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

5. आर्थिक क्षेत्र में आधार-भूत ढांचे की व्यवस्था करने में हमारा प्रमुख प्रयत्न विद्युत् एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का रहा है। कोटा के आणविक बिजली घर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विद्युत् में निरन्तर व्यवधान तथा बाहर के साधनों से बिजली प्राप्त होने की अनिश्चितता होते हुए भी बिजली की उपलब्धि में सुधार हुआ है। वर्ष 1981-82 में 3129.65 एम. के डब्ल्यू. एच. विद्युत् का उपभोग हुआ तथा वर्ष 1982-83 में लगभग 3375 एम. के. डब्ल्यू. एच. विद्युत् का उपभोग होने की संभावना है। फिर भी आर्थिक विकास में निरन्तर हो रही वृद्धि के कारण उपलब्धि के मुकाबले बिजली की मांग बहुत अधिक रही।

6. छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में सिंचित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 1981-82 के 38,500 हैक्टेयर के मुकाबले वर्ष 1982-83 में 96,000 हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने की संभावना है।

7. निरन्तर अकाल के बावजूद खाद्यान्नों के उत्पादन में कुछ भी सीमा तक वृद्धि हुई है। वर्ष 1981-82 में खाद्यान्नों का उत्पादन 71.49 लाख टन था जबकि वर्ष 1982-83 में यह 73.46 लाख टन होने की संभावना है। तिलहनों का उत्पादन भी 6.45 लाख टन से बढ़ कर 7.27 लाख टन होने का अनुमान है। कपास का उत्पादन भी 4.26 लाख गांठों की तुलना में 5.36 लाख गांठें होने की संभावना है।

8. वर्ष 1982-83 की वार्षिक योज[ना] का आकार 340 करोड़ रुपये था। अग्रि[म] योजना सहायता से अकाल के लिये 19.2[illegible] करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान था। अब अकाल पर होने वाला व्यय 95.89 करोड़ रुपये होने की संभावना है। अकाल के व्यय में इतनी अधिक वृद्धि के बावजूद विकास कार्यों पर योजना व्यय 340 करोड़ रुपये के मुकाबले अब 348.65 करोड़ रुपये अनुमानित है।

9. वर्ष 1983-84 की योजना का आकार 416.74 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। यह वर्ष 1982-83 की 340 करोड़ रुपये की मूल योजना के मुकाबले 22.57 प्रतिशत अधिक है।

10. माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे यह स्पष्ट होगा कि हमारे साधनों के सन्दर्भ में अकाल की स्थिति पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ हमने विकास कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय में वृद्धि की है।

11. योजना व्यय का मुख्य-मुख्य मदों में विभाजन इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपयों में)

(1)	सिंचाई एवं विद्युत्	216.38
(2)	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	85.11
(3)	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	69.82
(4)	परिवहन एवं संचार	19.00
(5)	उद्योग एवं खनिज	18.60
(6)	सहकारिता	5.50
(7)	अन्य	2.33
	योग	416.74

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

12. राज्य सरकार द्वारा निश्चित प्राथमिकताओं के अनुरूप योजना व्यय से नये बीस सूत्री कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा के साथ कार्यान्वित किया जायेगा । सम्पूर्ण योजना व्यय का लगभग 70 प्रतिशत भाग नये बीस सूत्री कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर खर्च किया जाएगा माननीय सदस्यों को यह जानकर सन्तोष होगा कि वर्ष 1982–83 में बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हमारी प्रगति को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है ।

13. वर्ष 1983–84 की योजना में विद्युत् एवं सिचाई के क्षेत्र में बुनियादी विकास को दी जाने वाली प्राथमिकता को कायम रखने के साथ साथ सामाजिक सेवाओं के हिस्से को भी बढ़ाया गया है । इससे अधिकाधिक जनसंख्या को विकास का लाभ मिल सकेगा । गरीबी की रेखा से नीचे वाले वर्गों के हित में राज्य सरकार द्वारा जो कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं उन्हें और अधिक सुदृढ़ करने के लिए योजना में अधिक प्रावधान प्रस्तावित है । कृषि तथा उद्योगों के विकास को भी योजना व्यय में उचित स्थान दिया गया है ।

14. 416.74 करोड़ रुपये की योजना-व्यय के लिए 157.48 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी तथा 259.26 करोड़ रुपये राज्य के स्वयं के साधनों से उपलब्ध होंगे ।

15. वर्ष 1982-83 के अन्त तक छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में लगभग 1014 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है । वर्ष 1983–84 में 416.74 करोड़ रुपये के व्यय को सम्मिलित करने से कुल योजना व्यय 1430.74 करोड़, रुपये का हो जायेगा जो कि राज्य की 2025 करोड़ रुपये की छठी पंचवर्षीय योजना का 70.67 प्रतिशत है ।

16. हमने छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 750.70 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का भार लिया था । वर्ष 1982-83 तक हमने जो प्रयत्न किये हैं उनसे छठी पंचवर्षीय योजना काल में 675.89 करोड़ रुपये उपलब्ध होने की संभावना है । इस प्रकार हमने प्रथम तीन वर्षों के प्रयत्नों से लगभग 90 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ।

17. वर्ष 1983–84 में लिये जाने वाले मुख्य मुख्य विकास कार्यक्रमों की ओर अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

विद्युत्

18. पिछले दो वर्षों में राज्य के औद्योगिक एवं कृषि विकास को गति देने में विद्युत् की कमी सबसे बड़ी अड़चन रही है । अतः राज्य के बाहर उपलब्ध सभी संभव साधनों से विद्युत् की उपलब्धि बढ़ाने तथा कोटा ताप विद्युत् गृह को शीघ्र चालू करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । कोटा ताप संयंत्र से प्रायोगिक रूप से 55 मेगावाट विद्युत् का उत्पादन किया जा चुका है तथा आशा है कि वाणिज्यिक आधार पर जून, 1983 तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा । कोटा ताप परियोजना के प्रथम चरण की दूसरी इकाई तथा दूसरे चरण की 210 मेगावाट की पहली इकाई का कार्य प्रगति पर है ।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

19. बीकानेर तथा उसके निकटवर्ती स्थानों में लिग्नाइट के भण्डारों के सर्वेक्षण के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य की योजना में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने का फैसला लिया जा चुका है। पलाना में लिग्नाइट पर आधारित थर्मल पावर स्टेशन लगाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा स्वीकृति दे दी गई है तथा इसके लिये बाह्य सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। स्थानीय लघु जल विद्युत योजनाओं को भी विकसित किया जायेगा। वर्ष 1984–85 में माही जल विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई से उत्पादन प्रारम्भ होने का अनुमान है। इससे राज्य में विद्युत की कुल उपलब्धि में सुधार होगा। ऐसी आशा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य में विद्युत की स्थापित क्षमता 1726.23 मेगावाट हो जायेगी। वर्ष 1983–84 में विद्युत की उपलब्धि लगभग 3993 एम. के. डब्ल्यू. एच. होने की संभावना है।

20. क्षेत्रीय तथा अन्तर्राज्यीय विद्युत के संचारण की व्यवस्था को भी मजबूत करना आवश्यक है। इस वित्तीय वर्ष में 220 के. वी. आगरा–भरतपुर लाइन का निर्माण हो गया है। वर्ष 1983–84 में वितरण प्रणालियों पर 48.10 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। अलवर–पानीपत तथा अलवर–भरतपुर की 220 के. वी. क्षमता की नई वितरण लाइन का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। मोडक–भवानीमण्डी कोटपूतली–बहरोड़ तथा राजगढ़–भादरा की 132 के. वी. लाइन तथा उनके ग्रिड सब-स्टेशन का कार्य भी 1983-84 में हाथ में लिया जायेगा। मकराना–कुचामन, बीलाड़ा-बोरून्दा तथा दौसा–सिकन्दरा लाइन का भी कार्य प्रारम्भ होगा। निम्बाहेड़ा में 220 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन भी बनाया जावेगा।

21. वर्ष 1983-84 में विद्युत पर कुल मिलाकर 122.03 करोड़ रुपये का योजना व्यय होगा। इसमें 56.88 करोड़ रुपये विद्युत उत्पादन से सम्बन्धित योजनाओं पर तथा 16.65 करोड़ रुपये ग्रामीण विद्युतीकरण पर व्यय होगा। इसके अन्तर्गत 1100 गांवों तथा 11000 कुओं में विद्युतीकरण का लक्ष्य है। वर्ष 1983-84 के अन्त तक लगभग 52 प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण हो जायेगा।

सिंचाई

22. वर्ष 1983-84 में अनुमानतः 144.9 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। इसमें से 90 हजार हैक्टेयर राजस्थान नहर क्षेत्र में 24.9 हजार हैक्टेयर माही बजाज सागर क्षेत्र में व अन्य वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से 30 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

23. वर्ष 1983-84 में सिंचाई पर 91.70 करोड़ रुपये का योजना व्यय होगा। इसमें से 50 करोड़ रुपये राजस्थान नहर योजना पर तथा 5.88 करोड़ रुपये माही बजाज सागर परियोजना पर व्यय होंगे। हम आशा करते हैं कि मार्च, 1985 तक राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण पूरा हो जायेगा।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

पेयजल

24. वर्ष 1983-84 में पेयजल योजनाओं के लिए 21.60 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इसमें शहरी जल प्रदाय योजना पर 11 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण जल प्रदाय योजना पर 10.60 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से भी 20 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है। मार्च, 1984 के अन्त तक राज्य के 17500 गांवों में जिनमें 16000 समस्याग्रस्त गांव शामिल हैं, पेय जल सुविधा उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा।

कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं

25. वर्ष 1983-84 में कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों पर 69.82 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आगामी वर्ष खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 89.10 लाख टन है। बीस सूत्री कार्यक्रम में दलहनों के उत्पादन का लक्ष्य 21 लाख टन तथा तिलहनों का 8.10 लाख टन रखा गया है। 11 लाख फलदार पौधे लगाने का भी कार्यक्रम है। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति व कमजोर वर्ग के कृषकों को निःशुल्क फलदार पौधे वितरित किये जायेंगे। वर्ष 1983-84 में प्रथम बार जायद के मौसम में राज्य के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जिलों में बाजरे के बीज का उत्पादन कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है। आगामी वर्ष 2.25 लाख टन उर्वरकों तथा 1.68 लाख क्विन्टल अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों के वितरण का लक्ष्य है।

उद्योग

26. राज्य में इस समय 213 मध्यम एवं वृहद् औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं जिनमें लगभग 1300 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन हुआ है। राज्य में बढ़ते हुए औद्योगिक विकास के सन्दर्भ में हम यह चाहेंगे कि राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों, तकनीशियनों एवं कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध हों।

27. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष के अन्त तक 40 करोड़ रुपये का उत्पादन किया जाएगा तथा 1.30 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। अनुमान है कि वर्ष 1983-84 में 72 करोड़ रुपये का उत्पादन हो सकेगा तथा 35 हजार अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आगामी वर्ष 10 हजार अतिरिक्त इकाइयों को ग्रामोद्योग क्षेत्र में स्थापित करने का प्रावधान है। राजस्थान हाथ करघा मण्डल द्वारा आगामी वर्ष में 1 करोड़ रुपये की बिक्री तथा 10 हजार व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

28. राजस्थान वित्त निगम द्वारा वर्ष 1983-84 में 55 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत करने का लक्ष्य है। आगामी वर्ष में लघु उद्योग इकाइयों को डीजल जनरेटिंग सेट लगाने पर 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

29. राज्य में केन्द्र द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में विनियोजन किये जाने के लिये

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

राज्य सरकार बराबर जोर देती रही है। इस वर्ष भारत सरकार ने सवाई माधोपुर के निकट बिलोपा में बोम्बे हाई गैस पर आधारित खाद का कारखाना लगाने के लिये स्थल का चयन कर लिया है। आगुचा में जिंक तथा शीशे के विपुल भण्डार मिलने के फलस्वरूप, राजस्थान में जिंक स्मेल्टर भारत सरकार द्वारा लगाने का निर्णय शीघ्र लिये जाने की संभावना है।

पशुपालन एवं डेयरी विकास

30. पशुपालन एवं डेयरी विकास पर 1983–84 में 5.23 करोड़ रुपये का व्यय होगा। पश्चिमी राजस्थान में जीवनयापन का प्रमुख आधार पशुपालन है। इस दृष्टि से राज्य के पशुधन के विकास पर समुचित ध्यान देना हमारा दायित्व है। पशुओं के लिये उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 1983–84 में 100 पशु चिकित्सालय और खोले जायेंगे।

31. यह सन्तोष की बात है कि डेयरी से संबंधित योजनाओं तथा आपरेशन फ्लड प्रथम परियोजना द्वारा राजस्थान में डेयरी विकास के लिये एकीकृत आधार बना है। वर्ष 1983–84 में दूध का औसत दैनिक संग्रहण 4.50 लाख लीटर होने का अनुमान है। आगामी वर्ष में आपरेशन फ्लड द्वितीय परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ होगा जिससे राज्य के लगभग समस्त जिलों में डेयरी कार्यक्रम क्रियान्वित हो जायेगा।

वन

32. वर्ष 1982–83 में 350 लाख पौधों के लक्ष्य के अनुपात में अब तक 415 लाख पौधे रोपित किये गये हैं। वर्ष 1983–84 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 450 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य है। गांवों में ईंधन, तथा चारे की आपूर्ति हेतु सामाजिक वानिकी योजना 10 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के रेगिस्थानी क्षेत्रों में वानिकी तथा चरागाह विकास के अनेक कार्यक्रम निष्पादित किये गये हैं।

सहकारिता

33. सहकारिता के अन्तर्गत वर्ष 1983–84 में 5.50 करोड़ रुपये का योजना व्यय होगा। सहकारी वर्ष 1983–84 में 135 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण, 13 करोड़ रुपये के मध्यकालीन ऋण तथा 25 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋणों के वितरण का लक्ष्य है।

शिक्षा

34. वर्ष 1983–84 में 38.37 करोड़ रुपये के योजना व्यय का प्रावधान शिक्षा के लिये उपलब्ध कराया गया है। अगले वर्ष प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा गुणात्मक विकास की दृष्टि से विभिन्न आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धि पर 35 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये आगामी वर्ष 3 हजार शिक्षकों के नये पद सृजन करने का प्रस्ताव है।

35. राज्य में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार को गति देने हेतु वर्ष 1983–84 में एक हजार नये प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा तथा एक हजार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

Page No.7

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

खोले जायेंगे। इनमें से 100 प्राथमिक विद्यालय, 60 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 100 अनौपचारिक केन्द्र जनजाति उपयोजना क्षेत्र में खोले जायेंगे।

36. छठी पंचवर्षीय योजना में 438 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 1982-83 तक 464 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय खोल दिये गये हैं। अतः वर्ष 1983-84 में 250 नये विषय ही खोलने का प्रस्ताव है।

37. वर्ष 1982-83 में पृथक् खेल विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग के माध्यम से प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रकाश में लाने तथा प्रोत्साहित करने के उपाय किये जायेंगे। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे खिलाड़ियों तथा व्यायामिकों ने 1982 के एशियाई खेलों में अनेक स्वर्ण एवं रजत पदक जीत कर राजस्थान का गौरव बढ़ाया है।

38. वर्ष 1983-84 में 3 नये पोलीटेक्निक संस्थान क्रमशः भरतपुर, भीलवाड़ा तथा चूरू में खोलने का प्रस्ताव है। भरतपुर में कुछ वर्ष पूर्व बन्द हुए पोलीटेक्निक संस्थान को भवन उपलब्ध होने के कारण सबसे पहले प्रारंभ किया जायेगा। शेष दो स्थानों पर जन सहयोग से भवन निर्माण कराये जाने पर संस्थान खोले जा सकेंगे।

39. महाविद्यालयों में जिस अनुपात में उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ है उसकी तुलना में उस अनुपात में सुविधाओं का अभाव बराबर महसूस होता रहा है। अतः वर्ष 1983-84 में महाविद्यालयों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण तथा प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरण आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु 30 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

40. राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि एक स्वतन्त्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का गठन किया जावे। इस विभाग की स्थापना से विभिन्न क्षेत्रों में हुए अनुसंधानों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पारम्परिक ज्ञान के व्यवस्थित विकास में गति आयेगी। इस विभाग के मार्गदर्शन के लिए राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की भी स्थापना की जायेगी।

चिकित्सा

41. वर्ष 1983-84 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर 13.02 करोड़ रुपये का योजना व्यय होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के विस्तार हेतु वर्ष 1983-84 में 500 नये उपकेन्द्र, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 13 ग्रामीण डिस्पेन्सरी खोलने का प्रस्ताव है। साथ ही 25 ग्रामीण डिस्पेन्सरियों को सबसीडियेरी हेल्थ सेन्टरों के रूप में क्रमोन्नत किया जायेगा। जिन स्थानों पर 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे वहां की डिस्पेन्सरियों को अन्य जगहों पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। 5 मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने का भी प्रस्ताव है।

42 जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल को आधुनिक चिकित्सा का प्रमुख केन्द्र बनाने

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

की दृष्टि से ओपन हार्ट सर्जरी तथा एन्ड्रोयुरोलाजी की विशिष्ट सुविधाएं यहां प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में दन्त चिकित्सा संकाय प्रारम्भ करना भी प्रस्तावित है। जयपुर के जनाना अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार एवं सुधार करने के लिये भी 5 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। बाड़मेर के जिला चिकित्सालय में 50 शय्याओं की और वृद्धि की जायेगी।

43. वर्ष 1983-84 में 200 नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव है, इनमें से 20 जन-जाति उपयोजना क्षेत्रों में होंगे। एक चल आयुर्वेदिक इकाई की स्थापना भी की जावेगी।

समाज कल्याण

44. वर्ष 1982-83 में अनुसूचित जाति संगठक योजना में 36.81 करोड़ रुपये का प्रावधान है जबकि वर्ष 1983-84 में 54.84 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। राजस्थान अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा निम्नलिखित योजनायें प्रारम्भ की गई हैं जिनका वर्ष 1983-84 में और अधिक विस्तार किया जावेगा :—

(1) पारिवारिक आय में वृद्धि हेतु ऋण व अनुदान।

(2) लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि एवं विक्रय की सुविधाएं।

(3) रोजगार व प्रशिक्षण।

(4) होस्टल परियोजना।

जनजाति क्षेत्रीय विकास

45. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1982-83 में 54.78 करोड़ रुपये के व्यय के मुकाबले वर्ष 1983-84 में 60.01 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जा रहे हैं। आगामी वर्ष इस क्षेत्र में 100 कि.मी. सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। 85 हजार 3 सौ छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पोशाकें एवं अध्ययन सामग्री वितरित की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन आदिवासियों को 1333 भवनों के लिये भू-आवंटन किया जायेगा। वर्ष 1983-84 में विभिन्न कार्यक्रमों से अनुमानतः 16,830 आदिवासी परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। वर्ष 1983-84 में सहरिया परिवारों के विकास हेतु 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

46. आदिवासी क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा रोजगार की सुविधाएं बड़े पैमाने पर बढ़ाने के उद्देश्य से कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प तथा लघु उद्योगों के विकास के लिये एक व्यापक परियोजना तैयार करवाई जा रही है। रेशम उद्योग के विकास के लिए भी एक विशिष्ट योजना क्रियान्वित की जायेगी।

47. आवासीय सुविधाओं का अभाव आदिवासी क्षेत्रों में स्वीकृत पदों के रिक्त रहने का एक प्रमुख कारण रहा है। इस समस्या के निराकरण के लिये आगामी वर्ष में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में 600 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जावेगा।

आवास

48. जयपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

1983–84 में 10 हजार आवासीय भू-खण्ड एवं आवासगृह देने का निश्चय किया है। कच्ची बस्तियों में भी 10 हजार भू-खण्ड एवं आवासगृहों का निर्माण किया जायेगा। जयपुर में मुरलीपुरा तथा विद्याधर नगर आवास योजनायें इसी वर्ष पूरी हो जायेंगी तथा इन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिया जावेगा।

49. औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत राज्य में 8 औद्योगिक बस्तियों में निर्मित 2592 मकानों का स्वामित्व अधिकृत आवंटियों को देने का प्रस्ताव है। यह स्वामित्व निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा:—

(1) आवंटी द्वारा अब तक देय पूरे किराये का भुगतान किया जावे।

(2) आवंटित मकान की वास्तविक लागत मूल्य का एक मुश्त भुगतान किया जावे या 4 तिमाही किश्तों में भुगतान किया जावे। किश्तों में अदायगी की स्थिति में स्वामित्व तभी दिया जावेगा जबकि अन्तिम किश्त का भुगतान कर दिया जावे तथा उस दिन तक के किराये का भी भुगतान कर दिया जावे।

(3) जमीन का वह मूल्य पृथक् से देय होगा जो मकान निर्मित होने के समय था।

(4) आवंटी आगामी दस वर्ष तक मकान को विक्रय नहीं कर सकेगा।

ग्रामीण विकास

50. इस वर्ष के 14 करोड़ रुपये की तुलना में आगामी वर्ष 18.88 करोड़ रुपये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर व्यय करने का प्रस्ताव है। इससे 1.42 लाख परिवारों को लाभ पहुंचेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर 9.36 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान है। इससे वर्ष 1983–84 में 62.40 लाख मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध होगा। इस विनियोजन से 4364 'स्थायी सम्पत्तियां ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित होंगी। वर्ष 1983-84 में 5 हजार बायो-गैस संयन्त्र लगाने का भी प्रस्ताव है। मरु विकास कार्यक्रम पर वर्ष 1983-84 में 13.80 करोड़ रुपये तथा सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम पर 220 लाख रुपये का व्यय होगा। मुझे आशा है कि इन कार्यक्रमों में विनियोजन से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिये ठोस आधार उपलब्ध होंगे।

पंचायती राज

51. इस वर्ष राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को नवजीवन देने के लिये अपनी घोषणाओं के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रम इन संस्थाओं को हस्तान्तरित किये तथा क्रियान्विति के लिये आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी जुटाई गई। आगामी वर्ष इन संस्थाओं के और अधिक सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से अन्य व्यवस्थाओं के अलावा पंचायत समितियों को 50 नई जीपें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण व्यवस्थाओं को भी विकसित किया जावेगा।

राजकीय उपक्रम

52. राज्य के प्रमुख उपक्रमों में निरन्तर घाटे की स्थिति हमारे लिये विशेष चिन्ता

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

का विषय है। अतः इस स्थिति में सुधार लाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। विद्युत मण्डल तथा परिवहन निगम के कार्यों में सुधार के उपाय सुझाने हेतु विशेषज्ञों से अध्ययन कराया जायेगा। इसी प्रकार अन्य सभी राजकीय उपक्रमों की घाटे की स्थिति में भी सुधार के प्रयत्न किये जायेंगे।

संशोधित अनुमान 1982–83

53. वर्ष 1982–83 के संशोधित अनुमानों का विवरण निम्न प्रकार है।–

(करोड़ रुपयों में)

(1)	राजस्व प्राप्तियां	1003.74
(2)	राजस्व व्यय	973.92
(3)	राजस्व खाते में बचत	29.82
(4)	पूंजीगत प्राप्तियां	705.82
(5)	योग (3 तथा 4)	735.64
(6)	पूंजीगत व्यय	473.14
(7)	शुद्ध बचत	262.50
(8)	प्रारम्भिक घाटा	–283.46
(9)	अन्तिम घाटा (7-8)	–20.96

54. राज्य सरकार को वर्ष 1982–83 के प्रारम्भ में 283.46 करोड़ रुपये के ओवर-ड्राफ्ट को चुकाने के लिये भारत सरकार ने मध्यावधि ऋण स्वीकृत किया है। इस वर्ष 262.50 करोड़ रुपये की बचत मुख्यतया इसी के कारण है। 283.46 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक ओवर-ड्राफ्ट के भुगतान के पश्चात् इस वर्ष के अन्त में 20.96 करोड़ रुपये का घाटा रहने की सम्भावना है। यह घाटा मुख्यतया अकाल राहत कार्यों पर अप्रेल-जुलाई, 1982 में हुए अतिरिक्त व्यय के कारण है। भारत सरकार से यह निवेदन किया गया है कि वह इस अवधि के लिए व्यय की सीमा में वृद्धि करे तथा केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करावे। हम आशा करते हैं कि राजस्थान में भीषण अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इस विषय पर उदार दृष्टिकोण अपनायेगी। जिस सीमा तक भारत सरकार अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराती है उस सीमा तक यह घाटा कम हो जायेगा। यदि इसके पश्चात् भी घाटे की स्थिति रहती है तो राज्य सरकार को अपने व्यय में आवश्यक कटौती करनी होगी जिसकी व्यवस्था की जाएगी।

बजट अनुमान 1983–84

55. वर्ष 1983–84 के बजट अनुमान निम्न प्रकार हैं:–

(करोड़ रुपयों मे)

(1)	राजस्व प्राप्तियां	1088.29
(2)	राजस्व व्यय	1074.21
(3)	राजस्व खाते में बचत	14.08
(4)	पूंजीगत प्राप्तियां	364.07
(5)	योग (3 तथा 4)	378.15
(6)	पूंजीगत व्यय	419.99
(7)	शुद्ध घाटा (5–6)	– 41.84

56. प्रदेश की प्रगति को निरन्तर चालू रखने तथा समाज के आर्थिक उन्नयन के लिये मौलिक आधार निर्माण करना आवश्यक है और उसके. लये अतिरिक्त साधनों का जुटाना अपरिहार्य है। इन साधनों के जुटाने में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अतिरिक्त करों का भार जन साधारण पर कम से कम पड़े और विभिन्न सेवाओं की लागत मूल्य में होने वाली वृद्धि का वजन उन वर्गों पर ही डाला जाय जिनका उपभोग वह करते हैं तथा उससे लाभ उठाते हैं।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कर प्रस्ताव

57. विद्युत् मण्डल में वर्ष 1982-83 में अनुमानतः 58 करोड़ रुपये का वाणिज्यिक घाटा होने का अनुमान है। यह घाटा मुख्यतया विद्युत् के उत्पादन, खरीद तथा वितरण पर होने वाले व्यय की पूर्ति विक्रय मूल्य से न हो पाने के कारण है। अतः मैं विद्युत् की दरों में वृद्धि के निम्न प्रस्ताव करता हूं :-

मध्यम उद्योग	4 पैसे प्रति यूनिट
वृहद् उद्योग	12 पैसे प्रति यूनिट

(एच.टी उपभोक्ता)

अगले वित्तीय वर्ष में इससे लगभग 20 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।

58. राज्य में विद्युत् की उपलब्धि मांग से कम होने के कारण जिन उद्योगों में डीजल द्वारा संचालित कैपटिव यूनिट्स हैं उनमें उत्पादित विद्युत् पर विद्युत् शुल्क में कमी करने का प्रस्ताव है। अभी विद्युत् शुल्क 6 पैसे प्रति यूनिट है जिसे अब मैं 2 पैसे प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे वर्ष 1983-84 में 2 करोड़ रुपये की राजस्व में कमी होगी।

59. उपरोक्त प्रस्तावों से आय में 18 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि होगी। इसे कम करने के पश्चात् वर्ष 1983-84 का शुद्ध घाटा 23.84 करोड़ रुपये रहेगा। इस घाटे की पूर्ति राजस्थान नहर परियोजना में जमीन की बिक्री से, राजस्थान के विभिन्न शहरों में कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित करने के कार्य को गति देकर तथा उपनिवेशन नीति को युक्तिसंगत करके पूरा किया जावेगा। प्रशासन को चुस्त करने के लिये प्रभावी कदम उठाये जायेंगे जिससे कि बकाया की वसूली में सुधार हो तथा राजकीय व्यय में मितव्ययता लाई जा सके।

90. हमारी पार्टी की नीतियों तथा जनता को दिये गये वायदों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का निश्चय दोहराते हुए मैंने अपने बजट प्रस्तावों में इस बात पर अधिकाधिक जोर दिया है कि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी विकास की गति को निरन्तर चालू रखा जाय तथा उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाय जिनसे राज्य की आर्थिक उन्नति को गतिमान बनाने में सहायता मिले और उसके द्वारा अन्ततोगत्वा समाज के उन वर्गों को लाभ मिले जो आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं।

61. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ राजस्थान के उज्वल भविष्य की कामना करते हुए मैं वर्ष 1983-84 के बजट अनुमान सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं।

जयहिन्द।

व्यवस्था का प्रश्न

मुख्य मंत्री की वित्त मंत्री को हाथ मिला कर बधाई

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आज तक विधान सभा में बजट प्रस्तुत होते रहे हैं लेकिन मुख्य मन्त्री जी वित्त मन्त्री जी से हाथ मिलायें, यह पहली अद्भुत घटना है।

श्री चन्दनमल बैद (मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना): आपने भी मिलाया था, मैंने देखा था।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय । मैंने मिलाया नहीं मिलाया लेकिन, चन्दनमलजी मुख्य मंत्री ने आप से हाथ नहीं मिलाया था ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि नई परम्परा नहीं डाली जाय तो अच्छा है । आज तक किसी ने हाथ नहीं मिलाया । अब आज एक नई परम्परा डाल रहे हैं । कुछ गरिमा होती है हाउस की । यह नहीं है हाथ मिलाने से गरिमा कम होती है । हाथ मिलाते हैं, मैं भी यहां से उठकर उनसे हाथ मिलाने जाऊंगा । इस सदन की यह परम्परा नहीं है इसलिए मैं कहता हूं . . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अनुमति दी जाय कि मैं भी उनसे हाथ मिलाऊं ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह खड़े ही नहीं होंगे ।

श्री चन्दनमल बैद : इतना अच्छा बजट देख करके विरोधी दल के नेता को बड़ा हताश होना पड़ रहा है ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, चन्दनमलजी ने तो अपनी बुराई खुद ही स्वीकार कर ली । इतना अच्छा बजट, मतलब उनसे अच्छा बजट . . . .

श्री चन्दनमल बैद : मैंने जो बजट पेश किया उससे बहुत अच्छा है यह ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर मैं समझता हूं, जो आपने टैक्सेज लगाये थे उनका सफाया करके कह दिया कि चन्दनमलजी के प्रपोजल्स अच्छे नहीं थे । यह तो एडमिट करो आप ।

श्री चन्दनमल बैद : अच्छे से भी बहुत अच्छा होता है । मैंने अच्छा बजट पेश किया इन्होंने बहुत अच्छा पेश किया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहता हूं . . .

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके वक्त में आपकी आदित्येन्द्रजी से पटती नहीं थी, हाथ क्या मिलाओ ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब यों तो जिन लोगों के हाथ ही नहीं थे उनसे भी हाथ मिलाया, ऐसी क्या बात है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन कर रहा था, कुछ चीजों का महत्व होता है । यह पब्लिक शो नहीं होना चाहिये । बजट पेश किया अच्छा किया बुरा किया, हाउस में चर्चा होगी लेकिन यहां खड़े होकर हाथ में हाथ मिला रहे हैं, ऐसा कहीं

Page No.13

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी किसी जगह नहीं हुआ। मैं कहता हूं मैं आप हाथ मिलायें वह तो ठीक है····

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, गले मिलने की अनुमति दे दीजिये······

(व्यवधान)

इसमें क्या बुरी बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुख्य मंत्री ने हाथ मिलाया, यह किसकी सलाह से करते हैं ? यह तो...

श्री चन्दनमल बैद : आप गले से गला मिला लीजिये।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, कोई आपत्ति नहीं।

(व्यवधान)

यहाँ तो हाथ मिला रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, भारत की संसद में जितने भी वर्ष मैं रहा, कभी नहीं देखा, प्रधान मन्त्री ने वित्त मन्त्री से हाथ नहीं मिलाया। यह परम्परा लोकसभा में नहीं है। कलेक्टिव रेस्पान्सिबिलिटी है। यह आशा की जाती है कि प्रपोजल्स मुख्य मन्त्री जी को पहले से ही मालूम हैं। जानते नहीं हैं तो जोइन्ट कलैक्टिव रेस्पान्सिबिलिटी किस बात की ? किस बात का कान्ग्रेचुलेशन ? प्रदर्शन मात्र है। यह परम्परा जो डाल रहे हैं, यह कम से कम नहीं होनी चाहिये, गलत परम्परा है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसमें असंसदीय क्या है।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 2 मार्च, 1983 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.पू. 11.41 बजे बुधवार, दिनांक 2 मार्च, 1983 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)